

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक .....C/4614...../

जबलपुर, दिनांक 10/11/2017

II-13-34/17

श्री ध्रुव प्रसाद, जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 03/07/2017 से 26/08/2017 तक 55 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक.....C/4615...../

जबलपुर, दिनांक 10/11/2017

II-13-34/17

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की ओर उनके ज्ञापन अवकाश/2172 इन्दौर, दिनांक 23/09/2017 के संदर्भ में श्री ध्रुव प्रसाद, जमादार का अवकाश आवेदन पत्र एवं चिकित्सा पेपर्स छायाप्रति वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न :-उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Ajaya*

(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

9.11.17

\*\*\*\*\*